राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (O-65) अलेसे–I/948 दिनांकः– 16/06/2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 310 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I (लिंक नम्बर 3978) को निलम्बित कर इनका मुख्यालय कोषालय, जयपुर (शहर) किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 11550/2019 में आदेश दिनांक 02.08.2019 से स्थगन आदेश जारी करने के कारण श्री गुप्ता को विभागीय आदेश क्रमांक 352 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा दिनांक 05.08.2019 से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ (परिवार कल्याण), जयपुर में किया गया था।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I की आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि दिनांक 05.08.2019 से 09.08.2019 (5 दिन) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (iii) के अन्तर्गत कर्तव्य मानते हुए निम्नानुसार कॉलम संख्या 05 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आवेदित दिनांक 24.07.2019 से 04.08.2019 तक (08 दिवस) का आकस्मिक अवकाश भी, इनके खाते में अवकाश शेष होने की शर्त पर, स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	लिंक नं0	नाम/पदनाम	विभाग/ कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है	अवधि /माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	3978	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ (परिवार कल्याण), जयपुर	दिनांक 24.07.2019 से 12.08.2019 तक

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (O-65) अलेसे–I/948 दिनांकः– 16/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ (परिवार कल्याण), जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय।
3. कोषालय, जयपुर (शहर)।
4. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ (परिवार कल्याण), जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)